प्रस्तावना

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राजस्थान राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 तथा इसके अधीन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियम, 2007 के अन्तर्गत की गयी राजस्थान सरकार के आर्थिक सेवाओं से संबंधित विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षा एवं अनुपालना लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामलें वे हैं जो वर्ष 2017-18 के दौरान नमूना जांच में ध्यान में आए तथा वे भी, जो पूर्व वर्षों में ध्यान में आए थे, परन्तु पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किये जा सके; वर्ष 2017-18 के बाद की अवधि से सम्बन्धित मामले, जहाँ कही आवश्यक थे, भी शामिल किए गए हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।